<u>न्यायालयः –श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)</u>

आप. प्रक. क.—296 / 2015 संस्थित दिनांक—11.05.2015 फाईलिंग नं.—234503003572015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

/ / विरुद्ध / /

1—संतोष मानिकपुरी पिता डेरहा मानिकपुरी, उम्र—38 साल, निवासी—चिल्पी, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम छ.ग.

2—बसंत कुमार नामदेव पिता शिव कुमार उम्र—28 साल, निवासी—संतोषीपारा वार्ड नंबर—8 बोडला, तहसील व थाना बोडला जिला कबीरधाम छ.ग.

3—जीवन साहू पिता माखन साहू, उम्र–31 वर्ष, निवासी–देहानपारा वार्ड नंबर–01 बोड़ला, जिला कबीरधाम छ.ग.

4—चन्द्रा नामदेव पिता शिवकुमार, उम्र—40 वर्ष, निवासी—संतोषीपारा वार्ड नंबर—8 बोडला, तहसील व थाना बोडला जिला कबीरधाम छ.ग.

5—कृष्णा उर्फ मुन्ना नामदेव पिता शिवकुमार, उम्र—42 वर्ष, निवासी—संतोषीपारा वार्ड नंबर—8 बोडला, तहसील व थाना बोडला जिला कबीरधाम छ.ग.

6-राजेश नामदेव पिता शिवकुमार, उम्र-35 वर्ष, निवासी-संतोषीपारा वार्ड नंबर-8 बोडला, तहसील व थाना बोडला जिला कबीरधाम छ.ग.

7—हेमचंद गुप्ता पिता गया प्रसाद गुप्ता, उम्र—47 वर्ष, निवासी—राजीव गांधी वार्ड नंबर—2 बोड़ला तहसील व थाना बोडला, जिला कबीरधाम छ.ग.

– _— – – दिन्न <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-11/07/2016 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—147, 294, 186, 353/149, 332/149(दो बार) के तहत आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक—30.01.2015 को दिन के 12:30 बजे ग्राम बिढली फॉरेस्ट बैरियर अंतर्गत थाना गढ़ी में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसका सदस्य होते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया, फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय के लोक सेवक होते हुए उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन में शासकीय कार्य में बाधा डाली, फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय व राकेश धनंजय को जो कि लोक सेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, आहतगण इंदलप्रसाद कार्तिकेय एवं राकेश धनंजय को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, आहतगण इंदलप्रसाद कार्तिकेय एवं राकेश धनंजय को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय ने एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी गढ़ी को दिनांक—30.01.2015 को प्रस्तुत किया। आवेदनपत्र अनुसार दिनांक—29.01.2015 को सूर्यास्त के पश्चात् एक मोटरसाईकिल में दो व्यक्ति बिठली बैरियर से सूपखार जाने के लिए आए तब उन्हें पार्क के नियम के बारे में जानकारी दी गई कि सूर्यास्त के पश्चात् इस मार्ग पर आवागमन बंद रहता है। उक्त दोनों व्यक्ति उस समय चले गए, परंतु अगले दिन लगभग 12:30 बजे दिन में वाहन कमांक—सी.जी—09 जे.ए—6020 एवं सेन्ट्रो सोल्ड वाहन से 9 व्यक्ति बैरियर आए और उसे अश्लील गालियां देकर मारने लगे। उपरोक्त व्यक्तियों ने बैरियार में रखे वायरलैस सैट के साथ भी छेड़छाड़ की। इस प्रकार आरोपीगण ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। फरियादी की उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध

कमांक—09 / 2015, धारा—147, 148, 294, 323, 186, 353, 332 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—147, 294, 186, 353/149, 332/149(दो बार) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहतगण इंदलप्रसाद कार्तिकेय एवं राकेश धनंजय ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—147, 294 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा एवं धारा 353/149, 332/149, 186 का अपराध शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—30.01.2015 को दिन के 12:30 बजे ग्राम बिठली फॉरेस्ट बैरियर में अंतर्गत थाना गढ़ी में सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय के लोक सेवक होते हुए उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन में शासकीय कार्य में बाधा डाली ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय व राकेश धनंजय को जो कि लोक सेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण इंदलप्रसाद कार्तिकेय एवं राकेश धनंजय को जो कि लोकसेवक के रूप में

कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष

अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी इन्दलप्रसाद कार्तिकेय (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद-विवाद हुआ था, जिसके विषय में उसने थाना गढ़ी में आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 तैयार की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्शपी—3 उसकी निशानदेही पर तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कहा है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने जो लिखित आवेदन थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें बैरियर एवं वायरलेस से छेडछाड करने वाली बात लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने प्रदर्श पी-1 के आवेदनपत्र में अपने अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इसी प्रकार साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी राकेश धनंजय (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। आरोपीगण एवं फरियादी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। घटना दिनांक को वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि बिठली बैरियर में आरोपीगण ने ड्यूटी पर तैनात फरियादी के साथ मारपीट की थी तथा शासकीय सामग्री वायरलेस से छेड़छाड़ की थी। साक्षी ने पुलिस

कथन प्रदर्श पी-5 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक-30.01.2015 को 7-आरोपीगण द्वारा फरियादी इंदलप्रसाद कार्तिकेय के साथ मारपीट की गई थी एवं फरियादी के लोक सेवक होते हुए उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाली गई थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-186 का अपराध के विचारण के लिए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा—195 के अनुसार संज्ञान सम्बद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकरण में संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–186 का विचारण नहीं किया जा सकता। अभियोजन साक्षी इंदलप्रसाद कार्तिकेय ने कहा है कि उसने विवाद होने के विषय में एक आवेदनपत्र प्रदर्श पी-1 पुलिस थाना प्रभारी गढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि उसने प्रदर्श पी-1 के आवेदन में अपने अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 का आवेदन पहले से ही तैयार था. जिसमें उसने हस्ताक्षर किये थे। इसी प्रकार फरियादी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है कि आरोपीगण द्वारा उसके लोक सेवक होते हुए शासकीय कार्य में स्वेच्छया बाधा डाली गई थी। अभियोजन कहानी का समर्थन अभियोजन साक्षी राकेश धनंजय ने भी नहीं किया है और यह कहा है कि घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 / 149, 332 / 149 व 186 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अंतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 / 149, 332 / 149 व 186 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक—11.05.2015 से दिनांक—15.05.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे। 9— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारूति सुजुकी वैगन आर क्रमांक—सी. जी—09/जे.ए—6020 को सुपुर्ददार मोतीदास मानिकपुरी पिता मोहनदास, सािकन व जिला कवर्धा छ.ग. की ओर से मुख्त्यार खास अजहर खान पिता मजहर खान सािकन व जिला कवर्धा छ.ग. को तथा वाहन मारूति सुजुकी आल्टो क्रमांक—09/जे.ए—9047 सुपुर्ददार तरूणा नामदेव पित बसन्त नामदेव सािकन बोडला जिला कबीरधाम छ.ग की ओर से मुख्त्यारखास बसंत नामदेव पिता शिवकुमार नामदेव को मय दस्तावेजों के सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गए हैं जो अपील अविध पश्चात् उनके पक्ष में निरस्त समझे जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

बैहर, दिनांक—11.07.2016 मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर. जिला बालाघाट

